कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60312 / मोनिट / 2019 / दिनांक : 27/9/19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)—माध्यमिक।

विषय :— राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये गये शिक्षाधिकारियों / शिक्षकों / मंत्रालयिक कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्ति सुनिश्चित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत माह में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के अधीन संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक इत्यादि पदों पर इस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत शिक्षाधिकारियों / शिक्षकों / मंत्रालयिक कार्मिकों का साक्षात्कार में चयनोपरान्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया गया है। उक्त क्रम में कार्यालय हाजा द्वारा कार्यमुक्त किये जाने बाबत स्वीकृति जारी कर संबंधित नियंत्रण अधिकारियों / संस्था प्रधानों को समस्त प्रतिनियुक्त अधिकारियों / कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। इसके बावजूद प्राप्त सूचनानुसार काफी संख्या में प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जिसका कारण मुख्यतया वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं होना / किया जाना है।

जिला क्षेत्राधिकार में अवस्थित विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक, जिन्हें सन्दर्भित आदेशों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया है, ऐसे समस्त अधिकारियों / कार्मिकों की कार्यमुक्ति के संबंध में अवगति प्राप्त कर अब तक कार्यमुक्त नहीं होने वाले अधिकारियों / कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त क्रम में आपके क्षेत्राधिकार में उपर्युक्तानुसार सन्दर्भित प्रतिनियुक्ति आदेशों की पालना में कोताही बरतने वाले समस्त अधिकारियों / कार्मिकों के विरूद्ध अग्रांकित विवरणानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें :—

1. कार्यमुक्त नहीं होने वाले प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / कार्यवाहक संस्था प्रधान, जिन्हें संस्था प्रधान के रूप में स्वयं ही कार्यमुक्त होना था, उनके विरूद्ध आदेशों की अवहेलना हेतु नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के समुचित प्रस्ताव इस कार्यालय को तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक / शारीरिक शिक्षक / अध्यापक / पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रयोगशाला सहायक / वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक, जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, ऐसे नियंत्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / कार्यवाहक संस्था प्रधान के विरूद्ध आदेशों की अवहेलना हेतु नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के समुचित प्रस्ताव इस कार्यालय के प्रारम्भिक जाँच अनुभाग को तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान—जयपुर।

2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की प्रगति रिपोर्ट हेतु कार्यग्रहण नहीं करने वाले वाले कार्मिकों की अद्यतन सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु संबंधित उपायुक्त को पाबंद करें।
3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारीगण को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की तत्काल पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीगण को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में संबंधित प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये गये अधिकारियों/कार्मिकों तथा उनके कार्यग्रहण के संबंध में तत्काल अवगति प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को सूचित करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर